

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमे इब्तादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाका दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.


वादीगण

1. लक्ष्मणसिंह राठौड पुत्र जबरसिंह निवासी लोडता हरिदासोत तहसील चामु जिला जोधपुर जरिये आममुख्तयार भानु प्रताप सिंह राठौड पुत्र बाबुसिंह राठौड निवासी मकान नम्बर के 61 देवीरोड, कॉलोनी कमला नेहरुनगर जोधपुर शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गंगासिंह पुत्र स्वरूपसिंह
2. अगरकंवर पत्नी स्वरूपसिंह
3. जबरसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
4. नगसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
5. ज्ञानसिंह पुत्र स्वरूपसिंह नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता अगर कंवर
6. मदनसिंह स्वरूपसिंह नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता अगर कंवर
7. शिम्भुसिंह पुत्र स्वरूपसिंह नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता अगर कंवर
8. अस्मान कंवर पुत्री इन्द्रसिंह
9. उगमकंवर पुत्री इन्द्रसिंह
10. उम्मेद सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
11. गोपाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
12. भंवरकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
13. शबूकंवर पुत्री इन्द्रसिंह
14. सिरूकंवर पुत्री इन्द्रसिंह
15. कुन्दनसिंह पुत्र मगसिंह
16. कमलेश कंवर पुत्री मगसिंह
17. किरण कंवर पत्नी मगसिंह
18. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह
19. कानसिंह पुत्र गजेसिंह
20. खमाकंवर पत्नी गजेसिंह
21. नारायणसिंह पुत्र गजेसिंह
22. श्रवणसिंह पुत्र गजेसिंह
23. गोपालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
24. बरजूकंवर पत्नी गिरधारीसिंह
25. हिमतसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
26. गोमदकंवर पत्नी अचलसिंह
27. पदमसिंह पुत्र अचलसिंह
28. महेन्द्र सिंह पुत्र अचलसिंह
29. छतरसिंह पुत्र हीरसिंह
30. मगसिंह पुत्र हीरसिंह
31. मनुकंवर पत्नी हीरसिंह
32. मोतीसिंह पुत्र हीरसिंह
33. रेखाकंवर पुत्री हीरसिंह
34. राहुल सिंह पुत्र जगमालसिंह
35. सुमेरसिंह पुत्र कालूसिंह निवासी लोडता हरिदासोत तहसील चामु जिला जोधपुर
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चामु जिला जोधपुर



उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री मदनसिंह।
2. प्रतिवादीगण अनुपरिस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

मुकदमा नम्बर 142/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/329
निर्णय दिनांक :- 7/11/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट (तहसीलदार चामू का पत्रांक कोर्ट/राजस्व/2025/16 दिनांक 07.01.2025) पेश हुई शामिल मिसल है। वादी अधिवक्ता द्वारा हल्का पटवारी लोडता अचलावता, भू.अ. निरीक्षक लोडता अचलावता तहसील चामू की मौका बंटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 के अनुसार अन्तिम डिकी जारी करने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी की तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं।

अतः अन्तिम डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है। तहसीलदार चामू को निम्नानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। हल्का पटवारी लोडता अचलावता, भू.अ. निरीक्षक लोडता अचलावता तहसील चामू की मौका बंटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 इस आदेश का अंग माना जायेगा:-

क्र. सं.	नाम काश्तकार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	कलर
रकबा हैक्टेयर में						
01	भानुप्रताप सिंह राठौड़ पि. बाबुसिंह राठौड़ हिस्सा पूर्ण जाति राजपुत सा. जोधपुर	लोडता हरिदासोत	642/206	3.5531	बा. तृतीय	-
02	अगरकंवर पत्नी स्वरूपसिंह वगोराह शेष समस्त खातेदार जमाबंदी एवं हल्का पटवारी लोडता अचलावता, भू.अ. निरीक्षक लोडता अचलावता तहसील चामू की मौका बंटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2025 के अनुसार बदस्तुर	लोडता हरिदासोत	642/206	15.9891	बा. तृतीय	-

यह आज तारीख 7/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

खर्चा वाद

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1. स्टाम्प वाद	/	1. स्टाम्प वकालतनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनामा		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराय हुक्मनामा	
4. वकील फीस बावत		4. मेहनताना वकील	

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर